न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 12/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
नारायणसिंह पुत्र रणजीतसिंह, जाति राजपूत,निवासी नरसाणा, तहसील व जिला जालोर जालोर		1.श्रीमति मूलीदेवी पुत्री लादाजी, 2.श्रीमति शान्तिदेवी पुत्री लादाजी 3.हकमाराम पुत्र लादाजी 4.बाबूलाल पुत्र लादाजी के कायम मुकाम :– 4/1.श्रीमति सीतादेवी पत्नि बाबुलाल 4/2.जगदीश पुत्र बाबूलाल 4/3.नारायण पुत्र बाबूलाल 4/4.सुरेश पुत्र बाबूलाल 4/5.दरिया पुत्री बाबूलाल 4/6.बदामी पुत्री बाबूलाल 4/7.रेखा पुत्री बाबूलाल 5.चुन्नीलाल पुत्र लादाजी के कायम मुकामः– 5/1.श्रीमति राधा पत्नि चुन्नीलाल 5/2.मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल 5/3.रमेशकुमार पुत्र चुन्नीलाल 5/4.पपाराम पुत्र चुन्नीलाल 5/5.नवुकुमारी पुत्री चुन्नीलाल 5/6.सरोजकुमारी पुत्री चुन्नीलाल 5/7. भावनाकुमारी पुत्री चुन्नीलाल , तमाम जातियान् कुम्हार, निवासीगण नरसाना, तहसील व जिला जालोर 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर ,दिनांक 18.1.2018(प्र.सं.17/2017)

उपस्थिति :–

1-श्री सलीम जावेद,,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री जोराराम चौधरी,अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.1से 2 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.6 की ओर से।
4.दीगर रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 18.1.2018को आदेश पारित करते हुए कहा कि पटवारी हल्का नरसाणा व भू अभिलेख निरीक्षक बिशनगढ को आदेशित किया जाता हैं कि नरसाणा के नवीन मूल खसरा नम्बर 106,107,294,295 रकबा क्रमशः 4.90,0.16,1.60,1.48 हेक्टर कुल रकबा 8.14 हेक्टर में खातेदार लादीया पुत्र जवाना जाति कुम्हार के बजाय मीरादेवी पत्नि लादीया , हकमाराम पुत्र लादाराम, सीमादेवी पत्नि बाबूलाल ,जगदीश, सुरेश, नारायण पिसरान् बाबूलाल,बदामी,दरिया,रेखा पुत्रियां बाबूलाल,राधादेवी पत्नि चुन्नीलाल, मदनकुमार, रमेशकुमार, पपाराम पिसरान् चुन्नीलाल, भावनाकुमारी, नवूकुमारी,सरोजकुमारी पुत्रिया चुन्नीलाल,मूलीदेवी,शान्तिदेवी पुत्रिया लादाराम, कौम कुम्हार, निवासीगण नरसाणा के नाम नामान्तरकरण दायर कर तत्काल पालना करने का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है,अधिनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी जालोर के म्युटेशन अपील सं. 18/2016 में निर्णय दिनांक 12.6.2017 के अनुसार पक्षकार अपीलांट नारायणसिंह को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है, तहसीलदार जालोर द्वारा अपने निर्णय में यह कही नही दर्शाया हैं कि लादाराम के पुत्र हकमाराम द्वारा खसरा नम्बर 867/294 कुल रकबा 0.76 हेक्टर में अपने सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्सा आराजी का बैचान दिनांक 15.11.2016 को अपीलांट को जरिये बैचान दस्तोवज के कर दिया था, जिसका इन्द्राज उप पंजीयक जालोर में दिनांक15.11.2016 को क्रम सं. 2006003959 पर पंजीबद्ध है तथा इस आधार पर राजस्व रेकर्ड में भी म्युटेशन भरा हुआ है तथा अपीलांट काबिज है,तहसीलदार जालोर ने उपखण्ड अधिकारी जालोर के निर्णय के विरूद्ध म्युटेशन बाबत् की गई जांच में न तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया है और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन हुआ है। अतःतहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 18.1.2018(प्र.सं. 17/2017) निरस्त कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड करने का आदेश करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ धारा 135(2) राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रकरण सं. 17/201के निर्णय दिनांक 18.1.2018 की प्रमाणित प्रति आदि नकले पेश की गई, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि उपखण्ड अधिकारी जालोर के म्युटेशन अपील सं.18/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.6.2017 अनुसार मौजा नरसाना का म्युटेशन सं. 156 दिनांक 30.8.2008को निरस्त कर प्ररण तहसीलदार जालोर को विधिक वारिसानों की विधिवत् जांच कर पुनः म्युटेशन पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया है ,जिसकी पालना में तहसीलदार जालोर ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय 18.1.2018 पारित किया गया है, लादाराम के पुत्र हकमाराम द्वारा खसरा नम्बर 867/294 कुल रकबा 0.76 हेक्टर में अपने सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्सा का बैचान अपीलांट को दिनांक 15.11.2016को किया गया है जिसका तहसीलदार जालोर द्वारा नजर अन्दाज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का निर्णय दिनांक 18.1.2018 निरस्त करावें। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के वकील ने बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी जालोर के अपील सं. 18/2016,निर्णय दिनांक 12.6.2017 की पालना में प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड करने पर तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक18.1.2018(प्र.सं.17/2017)पारित किया गया है जो सही पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.1.2018 अन्तर्गत धार 135(2) राज. भू राजस्व अधिनियम (लैण्ड रैकर्ड) की हैसियत से पारित किया गया है जिसकी अपील जिला कलेक्टर को नहीं होकर भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (एफ) के अनुसार निदेशक, भू अभिलेख,संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है, अतः माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय तुलसी बनाम परमेश्वर ,RLW2004 RJ 551 तथा 2004 RRD page 101 की पालना में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत् यह अपील लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो। निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: